अनुदान संख्या 31 - व्यय विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF EXPENDITURE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-			
मूल	Original	476,88,00	366,03,15	-110,84,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			99,72,28
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-			
मूल	Original	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	41947.00	32948.26	31890.70	-1057.56
पु.	R.	-8998.74			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सचिवालय – व्यय विभाग" के अंतर्गत – ₹10056.30 लाख की बचत (₹41947.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, व्यावसायिक/परामर्शदाता न लिए जाने, आईटी उपकरणों की सुपुर्दगी में विलंब होने और समूह 'क' अधिकारियों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹774.13 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान क 33 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under "Secretariat – Department of Expenditure" - saving of ₹10056.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41947.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-hiring of IT professionals/consultants, delay in delivery of IT equipment and non-finalization of training of Group 'A' officers.

(III) Under two heads savings of ₹774.13 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 33 percent and 36 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.